

(14) आरक्षण ठिकारी अथवा अन्धक कर्मचारी शिक्षा या प्रशिक्षण में भर्ति हट्ट करे या करीब नियुक्त होने आयोगों का ५५-३३ विना मारने ५५-३३ मारक नहीं है.